न्यायालय:– अपर सेशन न्यायाधीश, श्रीकरणपुर , जिला श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : श्याम कुमार व्यास, आर.एच.जे.एस.

सेशन प्रकरण संख्या : 03/2022

सी.आई.एस. नम्बर : 03/2023

Cis No : RJSG150000552023

राजस्थान राज्य

बनाम

1. बूटासिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह उम्र 32 साल, निवासी धोलेवाला माजर, पुलिस थाना कोट इसेखां जिला धर्मकोट पंजाब।
2. बलवीर सिंह पुत्र श्री मंगतसिंह उम्र 35 साल, मुठियावाला पटटी मोड, जिला तरणतारण पंजाब।

– अभियुक्तगण

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट व अपराध अंतर्गत धारा 420,465,468,471,379 आईपीसी</u>

<u>उपस्थितः–</u>

1. श्री इंद्रजीत सिंह, विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।
2. श्री सुधीर शर्मा व श्री मोहित गोयल विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण की ओर से ।

निर्णय **दिनांक–21–07–2026**

1. संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 27.07.2022 को जी. गोपीराथ गणेशन इन्सपेक्टर ए. कम्पनी 77 बटालियन सीमा सुरक्षा बल ने पुलिस थाना श्रीकरणपुर में पांच पैकेट व एक प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया कि वह सीमा सुरक्षा बल की 77 वी बटालियन में तैनात है। दिनांक 36.07.2022 को उनकी सी.आई.टी शाखा से सूचना मिली कि बॉडर इलाका में पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत होने की संभावना है, जिस पर टीम गठित कर बॉर्डर की सतर्कता हेतु ऑप्रेशन चलाया जाकर नाका लगाया गया। दौराने नाकाबंदी करीब 12.10 एएम पर कुछ आवाज सुनाई दी तथा पाकिस्तान की तरफ हरकत दिखाई दी। इसी दौरान एक कार ब्रेजा नम्बर पी.बी. 65 ए.वी.–5552 में दो लडके बी.एस.एफ. के जवानों को देख कर एकदम से कार को वापस मोड कर 01 एक्स की तरफ भागकर ले गए। जिस पर उच्चाधिकारियों को नाकाबंदी करने के लिए कह कर बार्डर के आस पास में सर्च किया तो फलड लाइट नम्बर 584 के पास 05 पैकेट येलो कलर के मिले, जिनमें संदिग्ध वस्तु होने का अंदेशा होने पर उनका वजन किया तो कुल वजन 04 किलो 730 ग्राम हुआ। उसके बाद पता चला कि हिन्दुमलकोट के पास दो व्यक्तियों को

पुलिस ने उक्त ब्रेजा कार सहित पकड़ लिया था, जो अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने की खेप लेने के लिए आए थे, किन्तु बी.एस.एफ. पुलिस व सी.आई.डी के सतर्क होने के कारण कार्यवाही में सफल नहीं हो सके।

2. आगे प्रकरण के अतिरिक्त तथ्य यह है कि पांचों पैकेटों को उसके द्वारा पुलिस थाना श्रीकरणपुर में लाकर पेश करने पर पांचों पैकेटों को खोल कर चैक किया तो उनमें नशीला पदार्थ हरोईन होना पाया गया, जिनका वजन किया तो 04 किलो 730 ग्राम हुआ। थानाधिकारी पुलिस थाना श्रीकरणपुर द्वारा उक्त हेरोईन के पैकेटों में से अलग–अलग सैम्पल लेकर सैम्पलों व शेष हेरोईन को मौका पर सील मोहर किया गया। आदि आदि। इस फर्द के आधार पर पुलिस थाना श्रीकरणपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 145/2022 अंतर्गत धारा 8/21 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम में दर्ज कर दौराने अनुसंधान अभियुक्त बूटासिंह व सह अभियुक्त बलवीर सिंह उर्फ बीरा को गिरफतार कर बाद अनुसंधान अभियुक्त बूटासिंह व अन्य अभियुक्त बलवीर सिंह उर्फ बीरा के विरूद्ध अंतर्गत धारा 8/21 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम तथा धारा 379,420,465,468,471 आईपीसी के तहत आरोप पत्र इस न्यायालय के समक्ष पेश करने पर अंवीक्षा प्रारम्भ की गई।

3. बहस चार्ज सुनी जाकर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण बलवीर सिंह उर्फ बीरा व बूटासिंह के विरूद्ध 8/21 एनडीपीएस एक्ट व धारा 465, 420, 468, 471, 379 आईपीसी में दंडनीय अपराध में आरोप प्रस्तुत किये गये अलग से विरचित कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्तगण ने उक्त आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4 अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य पी.ड.1 अभिषेक अरोड़ा, पी.ड. 2 दलीप कुमार, पी.ड.3 रतनलाल, पी.ड.4 दिनूसिंह, पी.ड.5 सुनील कुमार, पी.ड.6 लेखराज, पी.ड.7 गोपीनाथ गणेशन, पी.ड.8 नत्थुराम, पी.ड.9 विमलेश कुमार, पी.ड. 10 महेन्द्रपाल, पी.ड. 11 वेदप्रकाश, पी.ड. 12 गोपालसिंह, पी.ड. 13 मोहनलाल व पी.ड. 14 बलवंतराम को परीक्षित करवाया गया।

5 दस्तावेजी साक्ष्य में ट्रांसपोर्ट विभाग नई दिल्ली द्वारा जारी व्हीकल प्रर्टीकुलरर्स की रिपोर्ट प्रदर्श पी 1, एफआईआर रिपोर्ट प्रदर्श पी 2, कार का बिल प्रदर्श पी 3, कार की आरसी एवं बाकी दस्तावेज की चोरी बाबत रिपोर्ट प्रदर्श् पी 4, न्यायालय का आदेश प्रदर्श पी 5, फर्द पेशगी प्रदर्श पी 6, स्वतंत्र गवाह बाबत सहमति प्रदर्श पी 7, अभियुक्त बलवीर सिंह उर्फ बीरा को धारा 52 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी 8,

अभियुक्त बूटासिंह को धारा 52 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी 9, फर्द नष्टीकरण सील प्रदर्श पी 10, फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी प्रदर्श पी 11 व 12, फर्द जब्ती एक कार मारूति ब्रेजा नम्बर पीबी 65 एवी 5522 प्रदर्श पी 13, चिट नमतूना सील प्रदर्श पी 14, हुक्मनामा वास्ते तलबी स्वतंत्र गवाह प्रदर्श पी 15,स्वतंत्र गवाह बाबत सहमति प्रदर्श पी 16, पुलिस थाना श्रीकरणपुर द्वारा एसपी कार्यालय को अग्रेषण पत्र जारी करवाने बाबत तहरीर प्रदर्श पी 17, पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर को अग्रेषण पत्र के संबंध में तहरीर प्रदर्श पी 18, रसीद प्रदर्श पी 19, नजरी नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 20, हालात मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 20ए, नक्शा मौका तस्दीक स्थल प्रदर्श पी 21, हालात मौका नक्शा तस्दीक स्थल प्रदर्श पी 21ए, रिपोर्ट प्रदर्श पी 22, एफआईआर प्रदर्श पी 23, मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 24, पुलिस थाना श्रीकरणपुर की वृत अधिकारी श्रीकरणपुर को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रदर्श पी 25,फर्द इतिला अंतर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त बलवीर सिंह उर्फ बीरा प्रदर्श पी 26, फर्द इतिला अंतर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त बूटासिंह प्रदर्श पी 27, पुलिस थाना केसरीसिंहपुर द्वारा वृताधिकारी वृत श्रीकरणपुर को प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रदर्श् पी 28, पुलिस थाना केसरीसिंहपुर द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत दोलेवाला तहसील धर्मकोट जिला मोगा पंजाब से गिरफतारशुदा अभियुक्त बूटासिंह की सकूनत तस्दीक प्रदर्श पी 29, सकूनत रिपोर्ट प्रदर्श पी 30, पुलिस थाना केसरीसिंहपुर द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत मुठियावाला से गिरफतारशुदा अभियुक्त बलवीर सिंह उर्फ बीरा की सकूनत तस्दीक प्रदर्श पी 31, मूल आरसी प्रदर्श पी 32, फर्द इतिला अंतर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त बलवीर सिंह उर्फ बीरा प्रदर्श पी 33, फर्द इतिला अंतर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त बूटासिंह प्रदर्श पी 34, जब्तशुदा कार ब्रेजा पीबी 65 एवी 5522 के संबंध में रिकार्ड प्रदर्श पी 35, पंजाब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का फार्म् नम्बर 24 प्रदर्श पी 36, पुलिस थाना केसरीसिंहपुर द्वारा जिला परिवहन अधिकारी सराय कालेखां नई दिल्ली से जब्तशुदा कार ब्रेजा नम्बर डीएल 6 सीआर 5786 के संबंध में रिकार्ड प्रदर्श पी 37, पुलिस थाना केसरीसिंहपुर द्वारा देवेन्द्र सिंह से जब्तशुदा कार ब्रेजा नम्बर पीबी 65 एवी 5522 के संबंध में रिकार्ड प्रदर्श पी 38, पुलिस थाना केसरीसिंहपुर द्वारा थानाधिकारी राजौरी गार्डन नई दिल्ली से जब्तशुदा कार ब्रेजा नम्बर डीएल 6 सीआर 5786 के संबंध में रिकार्ड प्रदर्श पी 39, पुलिस थाना केसरीसिंहपुर द्वारा अभिषेक से जब्तशुदा कार ब्रेजा डीएल 6 सीआर 5786 के संबंध में रिकार्ड प्रदर्श पी 40, रोजनामचा प्रदर्श पी 41 ता 46, बलवीर सिंह उर्फ बीरा का आपराधिक रिकार्ड की सूचना

प्रदर्श पी 47, आपराधिक रिकार्ड की सूचना प्रदर्श पी 48, बूटासिंह का आपराधिक रिकार्ड की सूचना प्रदर्श पी 49, आपराधिक रिकार्ड की सूचना प्रदर्श पी 50, एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 51 भौतिक सत्यापन की कार्यवाही बाबत प्रतिवेदन प्रदर्श पी 52, इंवेंट्री रिपोर्ट प्रदर्श पी 53, एनडीपीएस एक्ट का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 54, प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 55, इंवेंट्री कार्यवाही के फोटोग्राफस प्रदर्श पी 56 ता 72, चिट दस्तखदी प्रदर्श पी 73 ता 86 को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

6 उपरोक्त अभियोजन साक्ष्य के विरूद्ध अभियुक्तगण ने धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अपने कथनों में अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए कथन किया कि वे निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रतिरक्षा के रूप में गवाह डी.ड. 1 बलवीरसिंह उर्फ बीरा को पेश कर परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 227/2022 पुलिस थाना हिंदूमलकोट प्रदर्श डी 1 को पेश कर प्रदर्शित करवाया।

7 न्यायालय के समक्ष विचारण बिन्दू यह है किः-

(i). कि आया दिनांक 26-07-2022 को वक्त 12.10 एएम या उसके लगभग वाके भारत पाकिस्तान सीमा के पास बोर्डर पर गांव एक एक्स के पास फलड लाइट नम्बर 584 के पास सीमा सुरक्षा बल के गश्ती दल द्वारा पांच पैकेटों में 4 किलो 730 ग्राम हेरोईन जब्त की गई थी, उक्त अवैध मादक पदार्थ की डिलीवरी लेने के लिए आप आए थे, जिसके बाबत आपके पास कोई वैध लाइसेंस व अनुज्ञा पत्र या प्राधिकार नहीं था?

(ii) कि आया आपने कार संख्या DL-6CR-5786 की चोरी कर, उसकी असली नम्बर प्लेट हटाकर कूटरचित नम्बर प्लेट लगाई, वाहन की फर्जी आर.सी. तैयार की तथा उसे असली के रूप में प्रयोग कर छलपूर्वक उपयोग किया, जिससे उसने भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 379, 420, 465, 468 एवं 471 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किए?

8 उपरोक्त विचारणीय बिन्दू के संदर्भ में बहस अंतिम सुनी गई।

9 दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजन ने तर्क प्रस्तुत किया कि गवाह पी.ड. 7 गोपीनाथ गणेशन की साक्ष्य से यह साबित है कि दिनांक 26-07-2022 को रात को 12 बजे भारत पाकिस्तान सीमा के पास गांव 1 एक्स में फल्ड लाइट नम्बर 584 के पास सीमा सुरक्षा बल के द्वारा 5 पैकेट में 4 किलो 730 ग्राम हैरोईन जब्त की गई। उस

समय अभियुक्तगण एक ब्रेजा कार नम्बर पीबी 65 एवी 5522 में बैठकर उपरोक्त हेरोईन की डिलीवरी प्राप्त करने के लिए आए थे, जो कि बीएसएफ बल को देखकर भाग गए। बीएसएफ द्वारा अभियुक्तगण के भागने की सूचना पुलिस थाने में दी जाकर जब्तशुदा हेरोईन थाने में पेश करते हुए हेरोईन की बरामदगी की लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 22 पेश किया। थानाधिकारी पी.ड. 14 बलवंतराम की साक्ष्य से यह साबित है कि गवाह पी.ड. 7 गोपीनाथ गणेशन के द्वारा प्रस्तुत हेरोईन को नियमानुसार जब्त कर नमूना सैम्पल निकालते हुए सील मोहर किया, जो कि बरामदगी से संबंधित गवाह पी.ड. 2 दलीप कुमार व पी.ड. 3 रतनलाल की साक्ष्य से साबित है। गवाह पी.ड. 13 मोहन लाल की साक्ष्य से साबित हुआ है कि बीएसएफ द्वारा दी गई सूचना पर थानाधिकारी के द्वारा संदिग्ध ब्रेजा कार को पकड़ने के लिए नाकाबंदी करवाई गई। पुलिस को सूचना मिली कि इस कार के द्वारा हिन्दूमलकोट इलाका शिवपुर हैड के पास एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट किया गया है और कार नरमें की फसल में फंस गई है, जिस पर पुलिस द्वारा शिवपुर के पास पहुंचकर कार सहित दोनों अभियुक्तगण बलवीर सिंह उर्फ वीरा और बूटासिंह को पकड़कर श्रीकरणपुर थाने ले गए। अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.ड. 12 गोपालसिंह की साक्ष्य से यह साबित हुआ है। अभियुक्तगण से बरामद कार के इंजन नम्बर और चैसिस नम्बर के आधार पर उसका असली पंजीयन नम्बर डीएल 6 सीआर 5186 होना, उसका पंजीकृत स्वामी गवाह पी.ड 1 अभिषेक अरोड़ा पाया गया। गवाह पी.ड. 1 अभिषेक अरोड़ा की साक्ष्य से यह साबित हुआ है कि उपरोक्त बरामदशुदा कार का वह पंजीकृत स्वामी था, जो कि उसके घर के आगे चोरी हो गई थी, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट 033844/2021 प्रदर्श पी 2 है। अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 12 गोपालसिंह की साक्ष्य से यह भी साबित हुआ है कि बरामदशुदा कार पर लगाई गई नम्बर प्लेट पर अंकित नम्बर पीबी 65 एबी 5522 का पंजीकृत स्वामी देवेन्द्र सिंह नामक व्यक्ति पाया गया। अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त कार पर अपने आधिपत्य की वैधता के बारे में कोई कारण प्रकट नहीं किया गया। इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य से यह साबित होता है कि अभियुक्तगण के द्वारा उपरोक्त कार को चोरी की जाकर उसकी पहली कार की नम्बर प्लेट हटाकर किसी अन्य दूसरी कार की नम्बर प्लेट लगाकर कूटरचना की गई, जिससे कि वह हेरोईन की तस्करी करने के लिए कार का उपयोग कर सके। अभियुक्तगण के द्वारा कार की आरसी की कूटरचना की गई और कूटरचित आरसी को असल के रूप में उपयोग में लिया गया। इस प्रकार अभियुक्तगण पर धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट, धारा 465,420,468,471 आईपीसी और 379 आईपीसी में दंडनीय अपराध का आरोप संदेह से परे साबित होता है।

अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाकर विधि अनुसार दंडित किया जावे।

10 उपरोक्त तर्कों का कडा विरोध करते हुए विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने तर्क प्रस्तुत किया कि पी.ड. 7 गोपीनाथ गणेशन की साक्ष्य से यह प्रकट नहीं होता कि उसने अभियुक्त को बरामदशुदा कार में हेरोईन की डिलीवरी लेने के लिए आते हुए देखा हो। नक्शा मौका प्रदर्श पी 20 में घटनास्थल पर कार के टायरों के निशान अथवा अन्य कोई अलामात नहीं दिखाए गए हैं। अभियोजन पक्ष के गवाहान के कथनों में भारी विरोधाभास प्रकट हुआ है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जावे।

11 उपरोक्त बहस के आलोक में पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

12 इस संबंध में गवाह पी.ड. 1 अभिषेक अरोड़ा ने अपने मुख्य परीक्षण में यह अभिकथन किया है कि दिनांक 13-08-2018 को उसने एक नई कार मारूति ब्रेजा नम्बर डीएल 6 सीआर 5186 मैजिक ऑटो प्राइवेट कारोल बाग नई दिल्ली से खरीदी थी। दिनांक 23-11-2011 को उसकी कार घर के आगे से अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट 033844/2021 पुलिस थाना राजौरी गार्डन में प्रदर्श पी 2 दर्ज करवाई गई। ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा जारी व्हीकल प्रर्टीकुलरर्स की रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 है,। कार का बिल प्रदर्श पी 3 है। कार के दस्तावेज चोरी होने बाबत दी गई रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 है। पुलिस थाना द्वारा कार के न मिलने के आधार पर न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश प्रदर्श पी 5 है।

13 गवाह पी.ड. 2 दलीप कुमार व गवाह पी.ड. 3 रतनलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया है कि दिनांक 27-07-2022 को 4.50 पीएम पर जी गोपीनाथ गणेशन इंस्पेक्टर बोर्डर आउटपोस्ट कोहली ने पुलिस थाना श्रीकरणपुर में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के साथ पांच पैकेट अवैध मादक पदार्थ के पेश किए, जिनका उनके सामने थानाधिकारी ने अवलोकन किया तो थानाधिकारी ने स्वतंत्र गवाह तलब करने के लिए रतनलाल एचसी को रवाना किया। रतनलाल एचसी ने बताया कि काफी प्रयास करने के बावजूद कोई व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने के लिए तैयार नहीं है इसलिए थानाधिकारी ने उन्हें स्वतंत्र गवाह बनने के लिए नोटिस दिया। लिखित सहमति हासिल की। उनके सामने थानाधिकारी ने पांच पैकेट खोलकर चैक किया तो सभी पैकेटों में नशीला पदार्थ हेरोईन होना पाई गई। थानाधिकारी ने पांच पैकेटों को कब्जा पुलिस में लेकर अनुसंधान बॉक्स में

इलेक्ट्रॉनिक कांटा निकालकर रैपर सहित वजन किया तो कुल वजन 4.730 किलोग्राम पाया गया। इन पैकेटों में से एक पैकेट का वजन 1 किलो 232 ग्राम पाया गया उसमें से बतौर सैम्पल 10 ग्राम हैरोईन निकालकर जीपरयुक्त पारदर्शी थैली में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर कर पैकेट पर मार्क ए व इसी प्रकार 10 ग्राम हैरोईन बतौर कंट्रोल सैम्पल अलग निकालकर एक पारदर्शी जीपरयुक्त पारदर्शी थैली में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सीलमोहर कर मार्क बी व शेष एक किलो 212 ग्राम हैरोईन को बतौर वजह सबूत उसी पैकेट में रहने दिया जाकर सफेद कपड़े में डालकर सील मोहर कर पैकेट पर मार्क सी अंकित किया। इसी प्रकार दूसरे पैकेट का हैरोईन सहित वजन एक किलो 40 ग्राम, तीसरे पैकेट का हैरोईन सहित वजन 1 किलो 76 ग्राम, चौथे पैकेट का हेरोईन सहित वजन 980 ग्राम, पांचवें पैकेटे का हेरोईन सहित वजहन 402 ग्राम होना बताते हुए प्रत्येक पैकेट में से 10 ग्राम हैरोईन बतौर सैम्पल और 10 ग्राम हैरोईन बतौर कंट्रोल सैम्पल निकाल कर प्रत्येक सैम्पल को पारदर्शी थैलियों में डालकर कपडे की थैलियों में डालकर सील मोहर कर मार्क अंकित किए जाने का अभिकथन किया है।

14 गवाह पी.ड. 2 दलीप कुमार ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि प्रदर्श पी 6 के पहले पेज और दूसरे पेज पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है। उसके सामने अभियुक्तगण से कोई बरामदगी नहीं हुई। अभियुक्तगण को हिन्दूमलकोट थाना इलाका से पकड़ा था। इस सुझाव को गलत बताया कि पुलिस थाना श्रीकरणपुर की टीम अभियुक्तगण को पुलिस थाना हिन्दूमलकोट से पकड़ लाई हो।

15 गवाह पी.ड. 3 रतनलाल ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि जब पैकेट के नमूना लिए गए थे उस समय कोई स्वतंत्र गवाह नहीं रखा था। जब नमूना लिए गए थे उस वक्त अभियुक्त थाने में बंद थे। उन्हें नमूना लेने से पूर्व धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस दिया गया। इस सुझाव को गलत बताया कि अभियुक्तगण को हिन्दूमलकोट थाना इलाका से पकड़ा गया हो।

16 गवाह पी.ड. 4 ओमप्रकाश ने अपने मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि दिनांक 26-07-2022 को वह 77 वीं बटालियन में पोस्टेड था। उसके अधिकारियों ने उसे बताया कि बोर्डर पर सीआईडी शाखा जी बॉच से सूचना मिली है कि बोर्डर पर तस्करी का प्रयास किया जा सकता है, जिस पर दिनांक 26-07-2022 के रात को 9 बजे से दिनांक 27-07-2022 की 1 बजकर 30 एएम पर सतर्कता अभियान चलाय गया, जिसमें केसी पूनिया, जीएस रावत और इंस्पेक्टर जी गोपीनाथ गणेशन और रणजीतदास कानि.

साथ में थे। रणजीतदास ने पांच राउंड फायर किए। निगरानी के दौरान सुबह एक कार ब्रेजा नम्बर पीबी 65 एवी 5522 में दो लड़के बैठे थे जो कोहली पोस्त के नजदीक से जा रहे थे, जिन्होंने बीएसएफ के जवानों को देखकर वापस गांव 1 एक्स की तरफ कार को भगाकर ले गए, जिस पर पुलिस को सूचित किया गया और बोर्डर के आसपास के एरिया पर सर्च करने पर फल्ड लाइट नम्बर 584 के पास 5 पैकेट पीले कलर के पाए गए, जिनका वजन 4.730 किलोग्राम पाया गया। बाद में पता चला कि ब्रेजा कार को हिन्दूमलकोट के पास पुलिस द्वारा सीआईडी ने पकड़ लिया। संदिग्ध पैकेट को इंस्पेक्टर जी गोपीनाथ गणेशन ने श्रीकरणपुर थाना में पेश किया।

प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि ब्रेजा कार हिन्दूमलकोट के पास पकड़ी गई थी उनके द्वारा नहीं पकड़ी गई। हिन्दूमलकोट में पकड़े गए व्यक्तियों से किसी तरह का संदिग्ध माल नहीं पकड़ा गया।

17 गवाह पी.ड. 5 सुनील कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में महेन्द्रपाल मालखाना इंचार्ज के द्वारा वजह सबूत मय चिटठी कागजात देकर एफएसएल के नाम चिटठी जारी करवाने हेतु कार्यालय पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर के लिए रवाना किए जाने, पुलिस अधीक्षक कार्यालय से अग्रेषण पत्र जारी करवाकर वजह सबूत एफएसएल में जमा करवाए जाने के संबंध में औपचारिक अभिकथन किया है।

18 गवाह पी.ड. 6 लेखराज ने अपने मुख्य परीक्षण में नक्शा मौका प्रदर्श पी 20 और प्रदर्श पी 21 स्वयं के समक्ष थानाधिकारी के द्वारा बनाए जाने का औपचारिक अभिकथन किया है।

19 गवाह पी.ड. 7 गोपीनाथ गणेशन ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 26-07-2022 को पाकिस्तान की तफ से बोर्डर इलाके में हरकत होने की संभावना की सूचना मिली थी, जिस पर उनके उच्चाधिकारियों के द्वारा दिनांक 26-07-2022 के समय 9 पीएम से दिनांक 27-07-2022 के समय 1.30 एएम तक बोर्डर पर सर्च ऑप्रेशन चलाया गया, जिसमें डीसीजी, केसी पूनिया, जीएस रावत, रणजीतदास दीनूसिंह व खूफिया एजेंसी के अधिकारी थे। दौराने नाकाबंदी जीएस रावत व टीम समय 12.10 एएम पर आवाज सुनाई दी। पिल्लर संख्या 310/03 एएस फल्ड लाइट संख्या 584 के पास तारबंदी के दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ हरकत दिखाई दी, जिस पर साथी रणजीतदास ने पांच राउंड फायर किए। इसी दौरान सुबह एक कार ब्रेजा पीबी 65 एवी 5522 में दो लड़के बैठे थे, जो कि बोर्डर के नजदीक जा रहे थे। बीएसएफ जवानों को

देखकर गाड़ी को वापस मोडकर एक एक्स गांव की तरफ भगाकर ले गए, जिसपर उनके अधिकारियों ने पुलिस को सूचित कर नाकाबंदी करने के लिए कहा। फल्ड लाइट नम्बर 584 के पास उन्हें पांच पैकेट पीले रंग के मिले, जिनका वजन 4 किलो 730 ग्राम पाया गया। बाद में पता चला कि हिन्दूमलकोट नाकाबंदी के दौराने दो व्यक्तियों को पुलिस और सीआईडी द्वारा कार सहित पकड़ लिया गया है। ये व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ की खेप लेने आए थे। थानाधिकारी बलवंतराम के समक्ष समय 5.15 पीएम पर उपस्थित होकर लिखित में घटना से अवगत करवाया। थानाधिकारी के द्वारा उसके समक्ष पैकेटों को खोलकर चैक किया गया तो उसमें नशीला पदार्थ हेरोईन पाई गई। गवाह ने आगे थानाधिकारी के द्वारा उसके समक्ष पैकेटों को खोलकर प्रत्येक पैकेट का हैरोईन सहित वजन करना बताते हुए प्रत्येक पैकेट से कंट्रोल सैम्पल और नमूना सैम्पल पारदर्शी थैली में डालकर थैली को सील मोहर कर मार्क अंकित किए जाने का अभिकथन किया एवं नक्शा मौका प्रदर्श पी 20 पर सी से डी अपने हस्ताक्षर और नमूना सील प्रदर्श पी 14 पर सी से डी अपने हस्ताक्षर होना बताया।

जिरह में कथन किया कि उन्होंने पैकेट सहित 4.30 एएम पर घटनास्थल से बरामद किए। उस समय मौके पर कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था। उसे इस बात का ध्यान नहीं कि घटनास्थल पर पैकेट कब गिरे थे और कितने दिन पहले गिरे थे। कब उन्होंने बरामद किए थे। उस वक्त उन्होंने किसी व्यक्ति को भागने हुए नहीं देखा था। उन्होंने पुलिस को मौका पर बुला लिया था। थानेदार ने किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र गवाह के लिए नहीं बुलाया, जिस दिन पैकेट बरामद करवाए उस दिन वह डयूटी पर था या नहीं उस बारे में पत्रावली में कोई दस्तावेज नहीं है। यह स्वीकार किया कि जो व्यक्ति बोर्डर से वापस भागे थे उन व्यक्तियों को उसने नहीं देखा और न ही उसने गाड़ी को देखा था।

20 गवाह पी.ड. 8 नत्थुराम ने अपने मुख्य परीक्षण में अपने समक्ष अनुसंधान अधिकारी गोपालसिंह के द्वारा घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 20 और आरोपी बलवीर सिंह उर्फ वीरा व बूटासिंह की निशानदेही से अनुसंधान अधिकारी के द्वारा नक्शा मौका प्रदर्श पी 21 उसके समक्ष बनाए जाने और उनपर सी से डी बतौर गवाह स्वयं के हस्ताक्षर होने का अभिकथन किया है।

जिरह में कथन किया नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 20 व प्रदर्श पी 21 नक्शा मौका तस्दीक की दूरी कितनी है, उसे पता नहीं है। इस सुझाव को गलत बताया कि प्रदर्श पी 20 व 21 थाने में बैठकर तैयार की है।

21 गवाह पी.ड 9 विमलेश कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया है कि दिनांक 28-08-2022 को थानाधिकारी गोपालसिंह ने उसे तहरीर दी कि कार नम्बर पीबी 65 एवी 5522 का रिकार्ड डीटीओ कार्यालय मोहाली से प्राप्त करना है व दूसरी तहरीर उसे कार डीएल 6 आरसी 5786 का रिकार्ड सरायकाले खां नई दिल्ली से प्राप्त करना है, जिस पर मोहाल्ली पंजाब डीटीओ कार्यालय में तहरीर देकर कार नम्बर पीबी 65 एवी 5522 एवं सरायकाले खां डीटीओ कार्यालय से कार नम्बर डीएल 6 आरसी 5786 का रिकार्ड बाबत तहरीर देकर प्राप्त किया। कार नम्बर डीएल 6 आरसी 5786 का रिकार्ड प्रदर्श पी 1 है।

22 गवाह पी.ड. 10 महेन्द्रपाल ने अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 27-07-2022 को स्वयं को मालखाना के इंचार्ज के पद पर तैनात रहना बताते हुए थानाधिकारी श्रीकरणपुर बलवंतराम के द्वारा उसे प्रकरण के जब्तशुदा वजह सबूत 16 पैकेट सील्डशुदा अवस्था में जमा करवाए जाने, जिस पर उसके द्वारा वजह सबूत को मालखाना में जमा करते हुए मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 24 के क्रम संख्या 1 से 1 पर प्रविष्टि होने का अभिकथन किया है।

23 गवाह पी.ड. 11 वेदप्रकाश ने अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 28-7-2022 को थानाधिकारी श्री बलवंतराम के द्वारा उसे धारा 27 की फर्द इतिला दो प्रतियों में सीओ कार्यालय में जमा करवाई जाने के लिए सुपुर्द करने, जिस पर उसके द्वारा सीओ कार्यालय में पहुंचकर सीओर सुरेन्द्र सिंह को एक प्रति देकर दूसरी प्रति पर हस्ताक्षर करवाकर पनुः थाने में सुपुर्द किए जाने का अभिकथन किया है।

24 गवाह पी.ड. 12 गोपालसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में स्वयं को अनुसंधान अधिकारी होना बताते हुए स्वयं के द्वारा सीजरकर्ता बलवंतराम, जी गणेशन बीएसएफ, इंस्पेक्टर के बयान लेखबद्ध किए जाने, अभियुक्तगण बलवीर सिंह उर्फ बीरा व बूटासिंह को धारा 52 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी 8 व 9 दिया जाना, अभियुक्तगण को फर्द प्रदर्श पी 11 और प्रदर्श पी 12 के जरिए गिरफतार किए जाने, अभियुक्तगण की निशानदेही से थाने से कार मारूति ब्रेजा नम्बर पीबी 65 एवी 5522 जरिए फर्द प्रदर्श पी 13 के जब्त किया जाना, जिस पर ए से बी दलीप कुमार व सी से डी आरोपी बूटासिह, ई से एफ रतनलाल के हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर आरोपी बलवीर सिंह उर्फ बीरा के अंगूठा निशान होना, नजरी मौका घटनास्थल व गोपीनाथ गणेशन की निशानेदही से प्रदर्श पी 20 बनाया जाने, हालात मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 20 ए होना, अभियुक्त बलवीर सिंह उर्फ बीरा की

धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इतिला प्रदर्श पी 26 होना, अभियुक्त बूटासिंह की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इतिला प्रदर्श पी 27 होना, तथ्यात्मक रिपोर्ट अंतर्गत धारा 57 एनडीपीएस एक्ट प्रदर्श पी 28 होना, नक्शा मौका तस्दीक स्थल आरोपी बलवीर सिंह व बूटासिंह की निशानदेही से स्वयं के द्वारा बनाए जाना, जो प्रदर्श पी 21, हालात मौका प्रदर्श पी 21 होना, बूटासिंह की सकुनत तस्दीक करने हेतु सरपंच दुल्लेवाला द्वारा निवास स्थान की तस्दीक बाबत जारी किया गया पत्र प्रदर्श पी 30 होना, अभियुक्त बलवीर सिंह की सकुनत बाबत सरपंच को जारी पत्र प्रदर्श पी 31 होना, जब्तशुदा ब्रेजा कार नम्बर पीबी 65 एवी 5522 की असल आरसी प्रदर्श पी 32 होना, फर्द इतिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त बलवीरसिंह उर्फ बीरा की प्रदर्श पी 33 होना, फर्द इतिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त बूटासिंह की प्रदर्श पी 34 होना, स्वयं के द्वारा जिला परिवहन अधिकारी साहीबजादा अजीत सिंह नगर मौहाली पंजाब को मुकदमा हाजा में जब्तशुदा कार पीबी 65 एवी 5522 का रिकार्ड उपलब्ध करवाने के संबंध में लिखा गया पत्र प्रदर्श पी 35 होना, इस पत्र के संबंध में रिजनल ट्रांसफर आथॉरिटी साहीबजादा अजीत सिंह नगर द्वारा उक्त ब्रेजा कार के संबंध में दिया गया रिकार्ड में आरसी फर्जी तैयार कर काम में लिया जाना, जो प्रदर्श पी 36 होना, जब्तशुदा ब्रेजा कार पर अंकित इंजन नम्बर डी13 ए 5684208 व चैसिस नम्बर एमए 3 एनवाईएफबी1 एसजेजी410386 के संबंध में जिला परिवहन अधिकारी सरायकाले खां नई दिल्ली को लिखा गया पत्र प्रदर्श पी 37 होना, जिला परिवहन अधिकारी सरायकालेखां द्वारा उपरोक्त इंजन नम्बर व चैसिस नम्बर की अपने रिकार्ड से मूल आसी की तस्दीकशुदा फोटोकॉपी प्रदर्श पी 1 पेश् करना, जिसमें उपरोक्त चैसिस नम्बर व इंजन नम्बर कार का रजिस्ट्रेशन नम्बर डीएल 6 आरसी 5186 होना, जो अभिषेक अरोड़ा उर्फ सुरेन्द्र कुमार निवासी राजारी गार्डन दिल्ली के नाम से जारी होना, दिनांक 27-09-2022 को उसके द्वारा जब्तशुदा कार ब्रेजा पीबी 65 एवी 5522 के संबंध में रिकार्ड उपलब्ध करवाने बाबत देवेन्द्र सिंह को लिखा गया पत्र प्रदर्श पी 38 होना, दिनांक 27-09-2022 को थानाधिकारी राजौरी गार्डन नई दिल्ली को जब्तशुदा कार ब्रेजा नम्बर डीएल 6 आरसी 5186 होना, थाना राजौरी गार्डन द्वारा उक्त कार चोरी होने के संबंध में दर्ज एफआईआर नम्बर 033844 दिनांक 24-11-2021 प्रदर्श पी 2 पेश करना, अभिषेक अरोड़ा को कार का रिकार्ड उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया पत्र प्रदर्श पी 40 होना, अभिषेक अरोड़ा द्वारा कार के डीलर द्वारा जारी रिकार्ड की फोटो प्रदर्श पी 3 पेश करना, रोजनामचा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 41 से 46 होना, आरोपी बलवीर सिंह उर्फ बीरा का आपराधिक रिकार्ड प्रदर्श पी

48 होना, आरोपी बूटासिंह का आपराधिक रिकार्ड प्रदर्श पी 50 होने का अभिकथन किया है।

जिरह में स्वीकार किया कि अभियुक्तगण से कोई बरामदगी नहीं हुई हैं। अभियुक्त बलवीरसिंह उर्फ बीरा से कोई मोबाइल बरामद नहीं हुआ। अभियुक्तगण पाकिस्तान के किस नम्बर पर बात करते थे, वह नहीं बता सकता। पत्रावली में पाकिस्तान की कोई प्रति शामिल नहीं है।

25 गवाह पी.ड. 13 मोहनलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया है कि दिनांक 27-07-2022 को वक्त करीब 1 बजकर 08 एएम पर थानाधिकारी बलवंतराम के साथ वह स्वयं व राजेश कुमार कानि, दलीप कुमार कानि. सुधीर कुमार कानि. अशरद खान जीप सरकारी चालक श्योपत राम के साथ बोर्डर की तरफ गश्त के लिए रवाना हुए थे। दौराने गश्त थानाधिकारी को बीएसएफ से सूचना मिली कि भारत पाकिस्तान बोर्डर कोहली पोस्ट के पास हरकत हुई है। गांव एक एक्स संदिग्ध ब्रेजा कार नम्बर पीबी 65 एवी 5522 ग्रे रंग देखी गई जो एक एक्स की तरफ भागी है, जिसे पकड़ने के लिए नाकाबंदी करवाई जाए। इस सूचना से थानाधिकारी द्वारा सभी को अवगत करवाया। उनके द्वारा श्रीकरणपुर से श्रीगंगानगर से रोड शिव कुटिया के पास नाकाबंदी करवाई गई। थानाधिकारी ने उसे, राजेश कुमार अशरद खान प्राइवेट वाहन से श्रीगंगानगर की ओर संदिग्ध ब्रेजा कार की तलाश के लिए रवाना किया। श्रीगंगानगर पहुंचने पर पता चला कि उक्त ब्रेज कार ने हिन्दूमलकोट इलाका शिवपुर हैड के पास एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट किया है। नरमे की फसल में फंस गई है। गांव वालों ने दो व्यक्तियों को पकड़ रखा है, जिस पर वे शिवपुरा हैड के पास पहुंचे तो वहां आरोपी बलवीर सिंह उर्फ बीरा व बूटासिंह को ब्रेजा कार नम्बर पीबी 65 एवी 5522 सहित श्रीकरणपुर लेकर आए और अनुसंधान अधिकारी को सौंप दिया।

26 गवाह पी.ड. 14 बलवंतराम ने अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 27-07-2022 को 4.50 पीएम पर जी गोपीनाथ गणेशन इंस्पेकटर बोर्डर आउटपोस्ट कोहली के द्वारा पुलिस थाना श्रीकरणपुर में हाजिर होकर उसके समक्ष एक लिखित प्रार्थना पत्र मय पांच पैकेट अवैध मादक पदार्थ के प्रस्तुत किए जाना, पैकेटों का कुल वजन 4 किलो 730 ग्राम होना। इन पैकेटों में से एक पैकेट का वजन 1 किलो 232 ग्राम पाया गया उसमें से बतौर सैम्पल 10 ग्राम हैरोईन निकालकर जीपरयुक्त पारदर्शी थैली में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर कर पैकेट पर मार्क ए व इसी प्रकार 10 ग्राम हैरोईन बतौर कंट्रोल सैम्पल अलग निकालकर एक पारदर्शी जीपरयुक्त पारदर्शी थैली में रखकर एक

सफेद कपड़े की थैली में डालकर सीलमोहर कर मार्क बी व शेष एक किलो 212 ग्राम हैरोईन को बतौर वजह सबूत उसी पैकेट में रहने दिया जाकर सफेद कपड़े में डालकर सील मोहर कर पैकेट पर मार्क सी अंकित किया। इसी प्रकार दूसरे पैकेट का हैरोईन सहित वजन एक किलो 40 ग्राम, तीसरे पैकेट का हैरोईन सहित वजन 1 किलो 76 ग्राम, चौथे पैकेट का हेरोईन सहित वजन 980 ग्राम पांचवें पैकेटे का हेरोईन सहित वजन 402 ग्राम होना बताते हुए प्रत्येक पैकेट में से 10 ग्राम हैरोईन बतौर सैम्पल और 10 ग्राम हैरोईन बतौर कंट्रोल सैम्पल निकाल कर प्रत्येक सैम्पल को पारदर्शी थैलियों में डालकर कपडे की थैलियों में डालकर सील मोहर कर मार्क अंकित किए जाने का अभिकथन करते हुए फर्द पेशगी कुल 5 पैकेट प्रदर्श पी 6 होना, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 22 होना, अग्रेषण पत्र जारी करवाए जाने बाबत लिखा गया पत्र प्रदर्श पी 17 होना, एफएसएल जयपुर में जमा वजह सबूत रसीद प्रदर्श पी 51 होना, धारा 52 ए एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही के लिए लिखा गया पत्र प्रदर्श पी 53 होना, एसीजेएम न्यायालय पदमपुर को फोटोग्राफ व शुद्धता के प्रमाणिकरण के लिए आवेदन प्रदर्श पी 54, प्राप्ति रसीद प्रदर्शपी 55, जब्तशुदा आर्टिकल की फोटोग्राफ प्रदर्श पी 56 ता 68, जब्तशुदा ब्रेजा कार के फोटोकॉपी प्रदर्श पी 69 से 72 होना, बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के खिलाफ अपराध प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र पेश किया जाना, न्यायालय में प्रस्तुत वजह सबूत आर्टिकल 1 से 21 होने का अभिकथन किया है।

प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि जी गोपीनाथ गणेशन जब्तशुदा माल व दोनों अभियुक्तगण को अपनी पूरी टीम के साथ थाने लेकर आए थे। यह स्वीकार किया कि जब्तशुदा माल को सैम्पल व कंट्रोल सैमपल लेने के समय थाने में मुलाजमान के अतिरिक्त कोई स्वतंत्र गवाहान उपस्थित नहीं था। अभियुक्तगण से कोई सिम या मोबाइल बरामद हुआ हो तो उसे पता नहीं है, उसके द्वारा अभियुक्तगण से कोई बरामदगी नहीं की गई।

27 अभियुक्तगण ने अपने बयान मुलजिम में अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए स्वयं को निर्दोष होना बताया।

28 साक्ष्य सफाई में अभियुक्त बलवीरसिंह उर्फ बीरा ने स्वयं को डी .ड. 1 के रूप में परीक्षित करवाते हुए यह अभिकथन किया कि वह और बूटासिंह करीब 3 साल पहले किन्नू के बाग के ठेके के लिए जमीन देखने श्रीगंगानगर आए थे। सुपरहैड पीएस हिन्दूमलकोट क्षेत्र में उनकी कार का एक मोटरसाइकिल के साथ एक्सीडेंट हो गया था , जिसकी एफआईआर संख्या 227 दिनांक 27-07-2022 प्रदर्श डी 1 दर्ज हुई थी। उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का झूठा मुकदमा बना दिया।

प्रतिपरीक्षण में अभियोजन पक्ष के इस सुझाव को गलत बताया कि उससे और बूटासिंह से पुलिस ने मादक पदार्थ बरामद किए हों।

29 सर्वप्रथम न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियोजन पक्ष उपरोक्त विवेचित अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है ?

30 इस संबंध में साक्ष्य की विवेचना से यह सुस्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही का अग्रेषण गवाह पी.ड. 7 गोपीनाथ गणेशन के द्वारा गवाह पी.ड. 14 बलवंतराम थानाधिकारी पुलिस थाना श्रीकरणपुर के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी 22 से आरम्भ हुई है। उपरोक्त रिपोर्ट प्रदर्श पी 22 के अवलोकन से प्रकट होता है कि इसमें दिनांक 26-07-2022 को सीआईडी पुलिस हैड क्वार्टर श्रीगंगानगर से प्राप्त सूचना के आधार पर बीएसएफ के अधिकारी श्री केसी पूनिया, जीएस रावत आदि के द्वारा दिनांक 26-07-2022 के समय 9 पीएम से दिनांक 27-07-2022 के 1.30 एएम तक सर्च ऑप्रेशन चलाया गया। इस दौरान पिल्लर संख्या 310/03 एएस फल्ड लाइड नम्बर 584 के पास बोर्डर के दूसरी तरफ से हरकत दिखाई पड़ने पर रणजीतदास कानि. के द्वारा पांच राउंड फायर किए गए। तलाशी के दौरान पांच पीले रंग के पैकेट ड्रग्स के वजन 4 किलो 730 ग्राम बरामद हुए। साथ ही यह पाया गया कि दो भारतीय नागरिकों के द्वारा वाहन संख्या पीबी 65 एवी 5522 में बैठकर उपरोक्त पैकेट प्राप्त करने के लिए आए, परंतु वे असफल रहे, जो बाद में सीआईडी/पुलिस के द्वारा नाकाबंदी में पकड़े गए।

31 इस प्रकार उपरोक्त रिपोर्ट में बीएसएफ के अधिकारियों के द्वारा पीले रंग के पांच पैकेट ड्रग्स के बरामद किया जाना तो बताया है, परंतु उपरोक्त ड्रग्स पैकेट की डिलीवरी प्राप्त करने के लिए आए व्यक्तियों के संबंध में केवल यह बताया गया है कि उनकी ओर से यह पाया गया कि दो भारतीय व्यक्ति वाहन संख्या पीबी 65 एवी 5522 में बैठकर पैकेट्स की डिलीवरी के लिए बोर्डर की तरफ आए, परंतु वे असफल रहे। इस प्रकार रिपोर्ट प्रदर्श पी 22 में प्रयुक्त भाषा से ही यह स्पष्ट होता है कि ड्रग्स के पांच पैकेट्स बरामद करने वाले बीएसएफ के अधिकारियों के द्वारा केवल पाया गया था कि दो व्यक्ति वाहन में बैठकर सीमा की तरफ पैकेट्स की डिलीवरी प्राप्त करने के लिए आए थे। इस रिपोर्ट में बीएसएफ के अधिकारियों के द्वारा उन दो व्यक्तियों को, जो कि ड्रग्स के पैकेट्स की डिलीवरी प्राप्त करने के लिए सीमा की तरफ आना बताए गए हैं, देखे जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। केवल यह तथ्य कि यह पाया गया कि दो व्यक्ति वाहन संख्या पीबी 65 एवी 5522 में

बैठकर ड्रग्स के पैकेट्स की डिलीवरी प्राप्त करने के लिए सीमा की तरफ आए थे, अपने आप में पर्याप्त नहीं है, जब तक कि उपरोक्त तथ्य के पाए जाने के आधारों का उल्लेख न हो।

32 इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले गवाह पी.ड 7 गोपीनाथ गणेशन ने अपने मुख्य परीक्षण में सीमा पर बीएसएफ के दल के द्वारा सीमा के पास हैरोईन के पांच पैकेट्स की बरामदगी किए जाना बताते हुए अभियुक्तगण के संबंध में केवल यह अभिकथन किया है कि इसी दौरान एक ब्रेजा कार पीबी 65 एवी 5522, जिसमें दो लड़के बैठे थे, कोहली पोस्ट बोर्डर के नजदीक जा रहे थे, जो बीएसएफ के जवानों को देखकर एकदम कार को वापस मोड़कर एक एक्स गांव की तरफ भगाकर ले गए। इस गवाह की साक्ष्य से भी यह स्पष्ट नहीं होता कि इसने स्वयं देखा हो कि ब्रेजा कार पीबी 65 एवी 5522, जिसमें दो लड़के बैठे थे, कोहली पोस्ट बोर्डर के नजदीक जा रहे थे, जो बीएसएफ के जवानों को देखकर एकदम कार को वापस मोड़कर एक एक्स गांव की तरफ भगाकर ले गए। प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया कि जो व्यक्ति बोर्डर से वापस भागे थे, उन व्यक्तियों को उसने नहीं देखा था और ना ही उसने गाड़ी को देखा था। अतः ऐसे में इस गवाह की साक्ष्य के आधार पर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि अभियुक्तगण वाहन संख्या पीबी 65 एवी 5522 में बैठकर कोहली पोस्ट के नजदीक बोर्डर के पास ड्रग्स पैकेट्स की डिलीवरी लेने जा रहे थे, जो कि बीएसएफ के जवानों को देखकर वापस भाग गए।

33 इस संबंध में अभियोजन पक्ष के द्वारा एक अन्य गवाह पी.ड. 4 दीनूसिंह को परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में स्वयं को घटना का प्रत्यक्षदर्शी होना बताते हुए दिनांक 26-07-2022 के 9 पीएम से दिनांक 27-07-2022 के 1.30 एएम तक सतर्कता हेतु चलाए गए अभियान में श्री केसी पूनिया, जीएस रावत, इंस्पेक्टर जी गोपीनाथ गणेशन, रणजीतदास कानि. के साथ स्वयं का होना, रणजीतदास के द्वारा पांच राउंड फायर किए जाना, इसी दौरान सुबह एक ब्रेजा कार नम्बर पीबी 65 एवी 5522 में दो लड़के बीएसएफ की कोहली पोस्ट के नजदीक आना, जो बीएसएफ के जवानों को देखकर एक एक्स गांव की तरफ कार को भगाकर ले जाने का अभिकथन किया है। इस प्रकार इस गवाह ने भी यह स्पष्ट अभिकथन नहीं किया है कि स्वयं उसने अभियुक्तगण को ब्रेजा कार नम्बर पीबी 65 एवी 5522 में बैठकर सीमा की तरफ पैकेट्स की डिलीवरी प्राप्त करने के लिए आते हुए देखा हो। इसके अलावा गवाह पी.ड. 7 गोपीनाथ गणेशन ने अपनी साक्ष्य में इस गवाह की सतर्कता अभियान में शामिल होने का कोई अभिकथन नहीं किया है।

34 इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसा कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी प्रस्तुत

नहीं किया गया है, जिसने स्वयं अभियुक्तगण को ड्रग्स के पैकेट्स की डिलीवरी प्राप्त करने के लिए सीमा पर वाहन नम्बर पीबी 65 एवी 5522 में आते हुए देखा हो।

35 पत्रावली पर प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में अभियोजन पक्ष के द्वारा दो प्रकार के नजरी नक्शा प्रदर्श पी 20 और प्रदर्श पी 21 प्रस्तुत किए गए हैं। प्रदर्श पी 20 उस स्थान का नक्शा मौका बताया गया है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूसरी ओर से ड्रग्स के पांच पैकेट्स भारतीय क्षेत्र में गिराये गए थे। प्रदर्श पी 21 उस स्थान का नक्शा मौका बताया गया है जहां पर अभियुक्तगण को ड्रग्स पैकेट्स की डिलीवरी प्राप्त करने के लिए वाहन नम्बर पीबी 65 एवी 5522 में बैठकर एक्स स्थान तक आना और खडवंजा संख्या 2 पर उपस्थित बीएसएफ जवानों को देखकर वापस भाग जाना बताया गया है। उपरोक्त नक्शा मौका व हालात मौका में खडवंजा नम्बर 2 पर उपस्थित बीएसएफ जवानों से एक्स स्थान की दूरी का कोई माप नहीं दिखाया गया है और न ही एक्स स्थान पर स्थित खडवंजा संख्या 2 की चौड़ाई का माप दिखाया गया है, जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि अभियुक्तगण और बीएसएफ के जवानों के बीच में इतनी अधिक दूरी रही हो और एक्स स्थान के खडवंजा का रास्ता इतना चौड़ा रहा हो कि अभियुक्तगण बीएसएफ के जवानों की पहुंच से दूर थे और बीएसएफ के जवानों के द्वारा उन्हें पकड़ा जाना संभव नहीं था। यहां यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि गवाह पी.ड. 4 दीनूसिंह और गवाह पी.ड. 7 गोपीनाथ गणेशन ने तो अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण को पकड़ने का प्रयास किए जाने तक का कोई अभिकथन नहीं किया है।

36 इस प्रकार उपरोक्त गवाह के कथनानुसार बीएसएफ के अधिकारियों ने थानाधिकारी श्रीकरणपुर को सीमा के पास हुई हरकत और संदिग्ध ब्रेजा कार के भाग निकलने की सूचना दी, परंतु इस संबंध में तत्कालीन थानाधिकारी गवाह पी.ड. 14 बलवंतराम की साक्ष्य के अवलोकन से प्रकट होता है कि उसने अपने सम्पूर्ण साक्ष्य में ऐसा कोई कथन नहीं किया कि दिनांक 27-07-2022 को वक्त 01.08 एएम पर उन्हें गश्त के दौरान बीएसएफ की तरफ से भारत पाकिस्तान बोर्डर कोहली पोस्ट के नजदीक कोई हरकत होने और वहां से संदिग्ध ब्रेजा कार नम्बर पीबी 65 एवी 5522 के भाग निकलने की सूचना मिली हो और उस सूचना के अनुसरण में उसके द्वारा कोई नाकाबंदी करवाई गई है। इसके अलावा इस गवाह के कथनानुसार थानाधिकारी को दिनांक 27-07-2022 के रात के 01.08 एएम पर उपरोक्त सूचना प्राप्त हुई। जबकि गवाह पी.ड 7 गोपीनाथ गणेशन के मुख्य परीक्षण के कथनानुसार दिनांक 27-07-2022 की सुबह संदिग्ध ब्रेजा कार नम्बर पीबी

65 एवी 5522 कोहली पोस्ट के नजदीक आती हुई पाई गई थी, जिसके भाग जाने पर उसके अधिकारियों द्वारा पुलिस को सूचित किया गया। इस प्रकार एक तरफ गवाह पी.ड. 13 मोहनलाल संदिग्ध गाड़ी के भाग निकलने की सूचना रात के 1.08 एएम पर प्राप्त होना बताता है तो दूसरी तरफ गवाह पी.ड 7 गोपीनाथ गणेशन संदिग्ध ब्रेजा गाड़ी के भाग निकलने की सूचना पुलिस को सुबह देना बताता है। ऐसे में उपरोक्त विरोधाभासी कथन न केवल प्रकरण में जब्तशुदा वाहन ब्रेजा कार नम्बर पीबी 65 एवी 5522 की घटनास्थल पर उपस्थिति संदेहास्पद बनाती है अपितु गाड़ी के भाग निकलने की सूचना के सम्प्रेषण को भी संदेहास्पद बनाती है।

37 गवाह पी.ड 13 मोहनलाल के अभिकथनानुसार उपरोक्त गाड़ी का हिन्दूमलकोट इलाका शिवपुर हैड के पास मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होने के बाद वह नरमे की फसल में फस गई थी और अभियुक्तगण को गांववालों ने पकड़ लिया था। यहां पर गवाहान ने उन गांववालों का कोई विवरण नहीं बताया है, जिन्होंने अभियुक्तगण को पकड़कर रखा हो और न ही अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसे किसी गांववालों को परीक्षित करवाया है। अतः ऐसे में अभियोजन की यह कहानी संदेहास्पद प्रकट होती है कि कार द्वारा एक्सीडेंट करने के बाद वह नरमें की फसल में फंस गई थी और गांववालों ने अभियुक्तगण को पकड़ कर रखा था।

38 इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से यह तथ्य संदेह से परे स्थापित नहीं होता कि प्रकरण में जब्तशुदा ब्रेजा कार नम्बर पीबी 65 एवी 5522 के घटनास्थल से भाग जाने की सूचना बीएसएफ के अधिकारियों के द्वारा थानाधिकारी श्रीकरणपुर को दी गई हो और थानाधिकारी के निर्देश से गवाह पी.ड. 13 मोहनलाल व अन्य व्यक्ति राजेश कुमार व अशरद खान के द्वारा उपरोक्त गाड़ी को हिन्दूमलकोट इलाका शिवपुर हैड के पास नरमे की फसल से बरामद और अभियुक्तगण गांववालों से प्राप्त किया हो। अतः ऐसे में अभियुक्तगण वाहन संख्या पीबी 65 एवी 5522 पर दिनांक 26-07-2022 को वक्त 12.10 एएम या उसके लगभग अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास फल्ड लाइट नम्बर 584 पर जब्त हैरोईन की डिलीवरी लेने के लिए आए हो, संदेह से परे साबित नहीं होता है। अतः ऐसे में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का दंडनीय अपराध भी संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

39 जहां तक अभियुक्तगण पर धारा 379 आईपीसी में दंडनीय आरोप का प्रश्न है, तो इस संबंध में अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक 26-07-2022 से

पूर्व किसी समय कार नम्बर डीएल 6 सीआर 5786 को उसके मालिक की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक आशय से चोरी की। इस संबंध में न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियुक्तगण के कब्जे से पंजीयन नम्बर डीएल 6 सीआर 5786 की कार बरामद हुई ?

40 इस संबंध में अभियुक्त बलवीरसिंह उर्फ बीरा ने बचाव में स्वयं यह अभिकथन किया है कि उनकी कार का एक मोटरसाइकिल के साथ एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी एफआईआर प्रदर्श डी 1 है। उपरोक्त प्रदर्श डी 1 के अवलोकन से प्रकट होता है कि यह एफआईआर रणजीत सिंह पुत्र हुक्मसिंह के द्वारा कार नम्बर पीबी 65 एवी 5522 के चालक द्वारा दुर्घटना कारित किए जाने के संबंध में हैं। इस प्रकार अभियुक्त के बयान और एफआईआर प्रदर्श डी 1 के समग्र विश्लेषण से अभियुक्तगण की ओर से यह तथ्य स्वीकृत प्रकट होता है कि कार नम्बर पीबी 65 एवी 5522 उनके आधिपत्य में रही है।

41 अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियुक्तगण उपरोक्त पंजीयन नम्बर वाली कार के पंजीकृत स्वामी अथवा वैध आधिपत्यधारी है ?

42 इस संबंध में फर्द बरामदगी कार प्रदर्श पी 13 के अवलोकन से प्रकट होता है कि दिनांक 27-07-2022 को अंवेषण अधिकारी पी.ड. 12 गोपालसिंह के द्वारा गवाह पी.ड. 2 दलीप कुमार हैड कानि 1984 व गवाह पी.ड. 3 रतनलाल हैड कानि 2026 के समक्ष श्रीकरणपुर पुलिस थाने में अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद की गई है। उपरोक्त फर्द बरामदगी पर अभियुक्तगण ने अपने अपने हस्ताक्षर होने के तथ्य से कोई इन्कारी नहीं की है। उपरोक्त बरामदगी की पुष्टि अंवेषण अधिकारी पी.ड. 12 गोपालसिंह के द्वारा गवाह पी.ड. 2 दलीप कुमार हैड कानि 1984 व गवाह पी.ड. 3 रतनलाल हैड कानि 2026 की साक्ष्य से हुई है। अभियुक्तगण की ओर से उपरोक्त बरामदशुदा कार के स्वयं के पंजीकृत स्वामी होने के संबंध या वैध आधिपत्य होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। इसके विपरीत गवाह पी.ड. 12 गोपाल सिंह के मुख्य परीक्षण के अभिकथनानुसार उसके द्वारा जब्तशुदा कार पर अंकित इंजन नम्बर डी 13 ए 56840208 व चैसिस नम्बर एनए 3 एनवाईएफबी1 एसजेजी410386 के संबंध में जिला परिवहन अधिकारी सरायेकालेखां नई दिल्ली से रिकार्ड उपलब्ध करवाने के संबंध में पत्र प्रदर्श पी 37 प्रेषित किया गया था, जिस पर उपरोक्त अधिकारी के द्वारा कार के इंजन नम्बर व चैसिस नम्बर के आधार पर मूल आरसी की तस्दीकशुदा फोटोकॉपी प्रदर्श पी 1 पेश की। प्रदर्श पी 1 के अवलोकन से प्रकट होता है कि बरामदशुदा ब्रेजा कार के इंजन नम्बर और चैसिस नम्बर के आधार पर उसका वास्तविक पंजीकरण नम्बर डीएल 6 सीआर 5186 और पंजीकृत स्वामी

अभिषेक अरोड़ा होने का उल्लेख है।

43 इस संबंध में अभिषेक अरोड़ा पी.ड.1 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कार मारूति ब्रेजा नम्बर डीएल 6 सीआर 5786 दिनांक 31-08-2018 को करोल बाग नई दिल्ली से खरीदना, दिनांक 23-11-2021 को यह कार उसके घर के आगे से अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली जाना, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 थाना राजौरी गार्डन में दर्ज करवाई जाने का अभिकथन किया है। गवाह की उपरोक्त साक्ष्य की पुष्टि एफआईआर प्रदर्श् पी 2 से होती है। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण के आधिपत्य से बरामद कार चोरी की हुई कार थी। अभियुक्तगण उक्त कार पर अपना वैध आधिपत्य साबित करने में असफल रहे हैं। इस प्रकार अभियोजन पक्ष धारा 379 आईपीसी में दंडनीय अपराध के आरोप को संदेह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि दिनांक 26-07-2022 से पूर्व कार नम्बर डीएल 6 सीआर 5786 को उसके स्वामी की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक आशय से अभियुक्तगण द्वारा चोरी गई है।

44 जहां तक धारा 465, 471 आईपीसी में दंडनीय अपराध के आरोप का प्रश्न है तो इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.ड. 12 के मुख्य परीक्षण के अभिकथनानुसार उसने जिला परिवहन अधिकारी साहिबजादा अजीतसिंह नगर मोहाली पंजाब को जब्तशुदा कार पीबी 65 एवी 5522 का रिकार्ड उपलब्ध करवाने के संबंध में प्रदर्श पी 35 लिखा है, जिस पत्र के जवाब में रिजनल ट्रांसफर अथॉरिटी साहिबजादा अजीतसिंह नगर द्वारा उक्त ब्रेजा कार के संबंध में दिया गया रिकार्ड प्रदर्श पी 36 है। प्रदर्श पी 36 के अवलोकन से प्रकट होता है कि पंजीयन नम्बर पीबी 65 एवी 5522 एक मारूति बिटारा ब्रेजा कार का नम्बर है, जिसकी चैसिस नम्बर एमए 3 एनवाईएफबी1 एसकेसी525080 और इंजन नम्बर डी13 ए-5806809 है। इस कार का पंजीकृत स्वामी देवेन्द्र सिंह पुत्र हजुरा सिंह है और कार का पूर्व स्वामी कुलदीप कौर दिखाई गई है। इस कार की मूल आरसी प्रदर्श पी 32 के अवलोकन से प्रकट होता है कि इसमें मूल पंजीयन स्वामी कुलदीप कौर पत्नी रविन्द्र सिंह उल्लेखित है।

45 इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से यह सुस्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण के आधिपत्य से बरामद कार, जिसका इंजन नम्बर डी13 ए-5806809 व चैसिस नम्बर एमए 3 एनवाईएफबी1 एसकेसी525080 है, जोकि वास्तविक पंजीयन नम्बर है, के स्थान पर अभियुक्तगण के द्वारा अन्य कार जिसका इंजन नम्बर डी 13 ए 5684208 व चैसिस नम्बर एमए 3 एनवाईएफबी1 एसजेजी410386 वास्तविक मालिक कुलदीप कौर व

पश्चातवर्ती मालिक देवेन्द्र सिंह के नम्बर प्लेट को बदलकर कूटरचना कारित करते हुए, कूटरचित नम्बर प्लेट को वाहन की असली नम्बर प्लेट होने के रूप में प्रयोग किया है। इस प्रकार अभियुक्तगण पर धारा 465,471 आईपीसी में दंडनीय अपराध संदेह से परे साबित है।

46 जहां तक अभियुक्तगण पर धारा 420 व 468 आईपीसी में दंडनीय आरोप का प्रश्न है, तो इस संबंध में अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 26-07-2022 से पूर्व किसी समय चोरी की गई कार नम्बर डीएल 6 सीआर 5786 को बेईमानी पूर्वक छल करने के आशय से उक्त कार को नशीली पदार्थ हेरोईन की तस्करी करने के लिए असली नम्बर प्लेट उतार कर उसके स्थान पर कार नम्बर पीबी 65 एवी 5522 लगाकर व कार की कूटरचित व फर्जी आरसी तैयार कर उसका उपयोग किया ?

47 इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि जैसा कि पूर्व में विस्तृत विवेचना करते हुए न्यायालय द्वारा अभियोजन की संपूर्ण कहानी को अविश्वसनीय एवं संदेहास्पद मानते हुए अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया गया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन यह भी संदेह से परे सिद्ध नहीं कर सका कि अभियुक्तगण ने दिनांक 28.07.2022 से पूर्व किसी समय चोरी की गई कार संख्या DL-6CR-5786 को बेईमानीपूर्वक एवं छल करने के आशय से मादक पदार्थ (हेरोइन) की तस्करी के लिए उसकी वास्तविक नम्बर प्लेट हटाकर उसके स्थान पर वाहन संख्या PB-65-AV-5522 की नम्बर प्लेट लगाकर व कार की कूटरचित व फर्जी आर.सी तैयार उसका उपयोग किया गया था। जब अभियोजन का मूल घटनाक्रम ही संदेहास्पद एवं अविश्वसनीय पाया गया है, तब इन आरोपों के समर्थन में कोई स्वतंत्र एवं विश्वसनीय साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 420 एवं 468 भा.दं.सं. के अपराध भी संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है।

48 इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के आरोपों से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः उपरोक्त अभियुक्तगण बलवीर सिंह उर्फ बीरा व बूटासिंह के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट व अपराध अंतर्गत धारा 420, 468 आईपीसी के आरोपों से संदेह का लाभ प्रदान कर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

49 इसके अलावा अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण बलवीरसिंह उर्फ बीरा व

बूटासिंह के विरूद्ध धारा 379,465,471 भारतीय दंड संहिता के आरोप संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः उक्त अभियुक्तगण आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 379, 465, 471 भारतीय दंड संहिता में दोषसिद्ध घोषित किये जाने योग्य पाये जाते हैं।

आदेश

50 फलतः अभियुक्तगण (1) बूटासिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह उम्र 32 साल, निवासी धोलेवाला माजर, पुलिस थाना कोट इसेखां जिला धर्मकोट पंजाब व (2) बलवीर सिंह पुत्र श्री मंगतसिंह उम्र 35 साल, मुठियावाला पटटी मोड, जिला तरणतारण पंजाब को अपराध अंतर्गत धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट व अपराध अंतर्गत धारा 420, 468 आईपीसी के आरोप से संदेह का लाभ प्रदान कर दोषमुक्त घोषित किया जाता है तथा उक्त अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 465,471,379 आईपीसी में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(श्याम कुमार व्यास)

दण्ड के प्रश्न परः-

51 दण्ड के प्रश्न पर उभय पक्षों को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता मुलजिमान की ओर से यह निवेदन किया गया कि मुलजिमान का यह प्रथम अपराध है तथा वर्ष 2022 से प्रकरण में अन्वीक्षा का सामना कर रहे हैं तथा अभियुक्तगण काफी समय से अभिरक्षा में चल रहे हैं। अंत में अभियुक्तगण को परीविक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गई।

52 उक्त तर्को का विरोध करते हुए विद्वान अपर लोक अभियोजक ने कथन किया कि मुलजिमान द्वारा कार संख्या DL-6CR-5786 की चोरी कर, उसकी असली नम्बर प्लेट हटाकर कूटरचित नम्बर प्लेट लगाई, वाहन की फर्जी आर.सी. तैयार की तथा उसे असली के रूप में प्रयोग कर छलपूर्वक उपयोग किया, जिससे उसने भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 379, 465, 471 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, इसलिए अभियुक्तगण को सख्त से सख्त सजा दी जाये।

53 दोनो पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्तगण द्वारा कार संख्या DL-6CR-5786 की चोरी कर, उसकी असली नम्बर प्लेट

हटाकर कूटरचित नम्बर प्लेट लगाई, वाहन की फर्जी आर.सी. तैयार की तथा उसे असली के रूप में प्रयोग कर छलपूर्वक उपयोग किया, जिससे उसने भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 379, 465, 471 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो कि अत्याधिक गम्भीर अपराध है। अतः पत्रावली पर आई साक्ष्य व घटनाक्रम को देखते हुए अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रूख नहीं अपनाते हुए अभियुक्तगण को उचित दंड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

54 अतः अभियुक्तगण (1) बूटासिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह उम्र 32 साल, निवासी धोलेवाला माजर, पुलिस थाना कोट इसेखां जिला धर्मकोट पंजाब व (2) बलवीर सिंह पुत्र श्री मंगतसिंह उम्र 35 साल, मुठियावाला पटटी मोड, जिला तरणतारण पंजाब को अपराध अन्तर्गत धारा 379,465,471 भारतीय दंड संहिता के आरोपो में दोषसिद्व किया जाकर प्रत्येक अभियुक्त को धारा 379 भारतीय दंड संहिता के आरोप में 3 वर्ष का कठोर कारावास तथा 3000/-रूपये अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदंड प्रत्येक मुलजिम 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।

55 अभियुक्तगण बलवीर सिंह उर्फ बीरा व बूटासिंह प्रत्येक को धारा 465 भारतीय दंड संहिता के आरोप में 01 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1000/-रूपये अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदंड प्रत्येक मुलजिम 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।

56 अभियुक्तगण बलवीर सिंह उर्फ बीरा व बूटासिंह प्रत्येक को धारा 471 भारतीय दंड संहिता के आरोप में 1 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1000/-रूपए अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदंड प्रत्येक अभियुक्त 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।

57 अभियुक्तगण की सभी मूल सजाऐं साथ-साथ चलेगीं। अभियुक्तगण द्वारा पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि को धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत उनकी मूल सजा में समायोजित किया जावे।

58 प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत 4 किलो 730 ग्राम हैरोईन बाद मियाद अपील, अपील नहीं होने की स्थिति में नष्ट किया जावे तथा कार व मूल आरसी बाद मियाद अपील, अपील नहीं होने की स्थिति में कार के पंजीकृत स्वामी को सुपुर्द कर दी जावे।

59 अभियुक्तगण बलवीर सिंह उर्फ बीरा व बूटासिंह न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियुक्तगण के सजा वारंट तैयार किये जाकर उप कारागृह श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर) को सजा भुगताने हेतु भिजवाये जावें।

60 अभियुक्तगण को इस निर्णय की प्रति अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जावे।

(श्याम कुमार व्यास)

61 निर्णय आज दिनांक 21.07.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(श्याम कुमार व्यास)